तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] जो क्रिस[illegible] तामील में [illegible]
21/6/22	पत्रावली पेश की। वकील प्रार्थी उप[illegible] हो। मूल वाद-पत्र सहमति के उभय पक्षकारों के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। राजीनामा के आधार पर प्रमाण फैसल किया जाता है। अब प्रार्थना पत्र के चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 212 [illegible] का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner